

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

क्रमांक: विज्ञापन सं. 09/Exam/ASO/Eco.&Statistics/RPSC/EP-I/2024-25

दिनांक : 05.08.2024

आयोग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के अन्तर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और क्लर्क श्रेणी सेवा (मर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी (ASSISTANT STATISTICAL OFFICER) के कुल 43 (SA&NSA) पदों पर मर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

S. No.	No. Of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
		GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV
1	Non Scheduled Area (31)	10	3	1	0	2	1	0	1	2	0	0	1	4	1	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0
Horizontal Reservation:- 1- Ex. Ser. - Gen./UR-1, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0																									
2- P.H. (i) B/LV-1 (ii) D., H.H.-3 (3 Backlog), (iii) LD/CP&Others-0 (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -4 (4 Backlog)																									
2	No. Of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
		GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV
	Scheduled Area (12)	1	0	0	0	0	0	0	0	8	2	1	0												
Horizontal Reservation:- 1- Ex. Ser. - Gen./UR-0, SC-0, ST-1 (1 Backlog)																									
2- P.H. (i) B/LV-0 (ii) D., H.H.-0, (iii) LD/CP&Others-1 (1 Backlog) (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -1 (1 Backlog)																									

नोट:- अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के कुल 11 पर वर्ष 2021 की मर्ती के बैकलॉग के हैं जिन्हें सामान्य प्रक्रिया से नहीं भरा जायेगा।

Abbreviations Used: GEN - General, U.R. - Unreserved, SC - Scheduled Castes, ST - Scheduled Tribes, OBC - Other Backward Classes, MBC - More Backward Classes, EWS - Economically Weaker Sections, GEN WE - General Women, WD - Widow, DV - Divorcee, B/LV - Blind/Low Vision, D-Deaf, H.H - Hard of hearing, LD/CP & Others - Loco motor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, I.D. - Intellectual disability, M.I. - Mental illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis. - Multiple Disability, Ex. Ser. - Ex Serviceman, P.H. - Physical Handicapped.

टिप्पणी:- एकाधिक दिव्यांगता (Mul. Dis.-Multiple Disability) श्रेणी के लिए उपयुक्त सारणी में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से (i) एवं (ii) की अतिव्यवस्था के साथ (iii) अथवा (iv)(a) में वर्णित कोई एक विकलांगता अतिव्यवस्था रूप से होनी चाहिए।

विशेष नोट :- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संख्या में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र क्यासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।

टिप्पणी:- यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता दें।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी मर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, क्यास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी मर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, क्यास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को परचातुर्वर्ती तीन मर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन मर्ती वर्षों की समाप्ति के परचातुर्वर्ती वर्षों की समाप्ति नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रैंसटर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रैंसटर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, क्यास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और, क्यास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति परचातुर्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विधिवन् विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी भी पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विधिवन् विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उन्नी अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष और विधिवन् विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण प्राप्त जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निशकतजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी मर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले मर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यापगत हो जायेंगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी मर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निशकतजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी मर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी मर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निशकतजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निशकतता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निशकतजन उपलब्ध नहीं होता है तो निम्नोक्त उस रिक्ति को निशकतजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एम्बीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

टिप्पणी:- बिना संख्या 01 से 07 तक के प्राधान्य संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :-

- At least a second class master's degree in Mathematics, Statistics, Economics, or Commerce
OR
Master's degree in any of the above subject with one year's diploma in Statistics from a recognized University established by law in India.
AND
- *O* or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.
OR
Certificate course on Computer concept by NIELIT, New Delhi
OR

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National State Council or Vocational Training Scheme.

OR

Degree/Diploma/Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognized by the Government.

OR

Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country with Computer Science/ Computer Application as one of the subjects.

OR

Diploma in Computer Science & Engineering from a Polytechnic institution recognized by the Government.

OR

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

Note: 1. अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सिलिंग/पात्रता जाँच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र किये जाने पर उन्हें आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जाएगा।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, याता व्यक्ति की आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
वे-मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवर्द्धांकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

आयु सीमा दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।
नोट :- उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2021 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.01.2022 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2025 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।
विज्ञापित पदों के अनुरूप दशायें गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्ग/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Woman Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widows and divorced women. Explanation :- That in the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorcee.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। That the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner who had served under the government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the Rules.	
6.	उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under the Rules.	
7.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा चाहे वे आयोग के समक्ष आधारी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। That the persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, had they been within the age-limit, when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission or the Appointing Authority as the case may be and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.	
8.	विभाग के मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों की श्रेणी के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। That the upper age limit in the case of Ministerial and Class IV Employees of the Department for category of posts reserved for them under these Rules shall be 40 years.	
9.	That the upper age-limit mentioned above shall be relaxed upto 45 years for the persons repatriated from Burma and Ceylon on or after 01-03-1963 and East African Countries of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar with a further relaxation upto 5 years in the case of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;	
10.	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्त कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
11.	पूर्वी अफ्रीका के देश कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीबार से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। That there shall be no age-limit in the case of persons repatriated from East African Countries of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar;	
12.	Notwithstanding anything contained contrary in these Rules, in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity, the upper age-limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in by competitive examinations.	
13.	सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। That there shall be no age-limit in the case of persons repatriated from Pakistan during the 1971 Indo-Pak War.	
14.	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कार्यभार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State-Public Sector Undertaking/Corporation in substantive capacity shall be 40 years.	
15.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु स्वीधी भर्ती की दशा में जहाँ निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहाँ 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 15 years for Ex-servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 यथासंशोधित प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	

51824

16	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निराक्षर व्यक्ति को लिए ऊपर उल्लेखित कपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।	
नोट :-	
- उपरोक्त वर्गित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 15 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यर्थात् को उपरोक्त वर्गित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। - उपयुक्त बिन्दु संख्या 01 से 15 तक के अनुसार कपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात्, बिन्दु संख्या 15 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विशेष योग्यजन को कपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी। - कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आकृति के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अन्यर्थात् द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) स्थितियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा। - राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अन्यर्थात् की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। - अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।	
अन्य विवरण	
चयन प्रक्रिया	अन्यर्थात् का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में रकेलिंग/मॉडरेशन/नॉर्मलाइजेशन (समान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अन्यर्थात् के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जायेंगे जो मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। Provided that the Commission, as the case may be, shall not recommend any candidate who has failed to obtain a minimum of 40% marks of the total marks of the written examination. नोट:- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आर्मेड) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रियायत दी जायेगी।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 12.08.2024 से दिनांक 10.09.2024 रात्रि 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	- उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अन्यर्थात् आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajabasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अन्यर्थात् ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अन्यर्थात् के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा। - ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थात् को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajabasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajabasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अन्यर्थात् के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्ट्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। - जिन अन्यर्थात् द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अन्यर्थात् एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajabasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें। - अन्यर्थात् द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/जनाधार/SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का रीक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेंगे। यदि इसमें कोई अंतर है तो जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्यवाही करें। Note: ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अन्यर्थात् अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जाँच/परीख ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर ले ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके तथा परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जा सके। - अन्यर्थात् के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन अवधि के दौरान खिंचवाई गई दिनांकित फोटो, हस्ताक्षर एवं बोंबे हाथ की अंगुठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अनिजागर की उपस्थिति में अन्यर्थात् के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगुठा निशानी भी लगाई जायेगी। - अन्यर्थात् ऑनलाईन आवेदन पत्र में धुंधली (blurred) स्कैन फोटो अपलोड नहीं करें तथा आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो अपलोड की जावे एवं इसी फोटो को परीक्षा केंद्र में उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु साथ लेकर आवें। यही फोटो काउंसलिंग/साक्षात्कार के समय विस्तृत आवेदन पत्र हेतु भी उपयोग में ली जायेगी। अन्य/असमान फोटो स्वीकार्य नहीं होगी। - अन्यर्थात् को भुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में भुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर भुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी। - अन्यर्थात् आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी रीक्षणिक योग्यता एवं वांछित अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें क्योंकि यदि ऐसी पूर्व में अर्जित रीक्षणिक योग्यता/अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित रीक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे। - आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा। - आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। - आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पत्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अन्यर्थात् पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। - राजस्थान राज्य के विच्छेदा वर्ग/अति विच्छेदा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य विच्छेदा वर्ग/अति विच्छेदा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। - अन्यर्थात् ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लेंगे। - आयोग द्वारा अन्यर्थात् से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अन्यर्थात् ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-	
- यदि कोई अन्यर्थात् अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 500/- का ऑनलाईन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajabasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अन्यर्थात् का ही होगा। - आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाईन एडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अन्यर्थात् के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।	
Note: विच्छिन्न विवाह/तलाक़शुदा/परित्यक्ता महिला ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विच्छिन्न विवाह (DV) डिक्री जारी होने की स्थिति में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकेगी।	

3. One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।

4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।

5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रुपये निर्धारित है।

6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।

7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

एकवर्षीय पंजीयन शुल्क :- वार्षिक (क-2) विभाग के त्रिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त नती परीक्षार्थी में एकवर्षीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

1. सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी - रुपये 600/-

2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहयोग क्षेत्र) के अभ्यर्थी - रुपये 400/-

3. दिव्यांगजन - रुपये 400/-

नोट :- रुपये 400/-

1. राजस्थान राज्य से निम्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।

2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकवर्षीय पंजीयन शुल्क जमा करवाएँ।

विशेष योग्यता/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को भूतलेखक/कतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यता श्रेणी भर जाने तथा भूतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अनिवार्य यह नहीं है कि वह भूतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए वह पात्र/योग्य है। भूतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी को भूतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

2. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का भूतलेखक लाना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं भूतलेखक का वचन-पत्र, भूतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।

3. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग/केन्द्राधीक्षक से भूतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी का वचन-पत्र केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।

4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिफेसिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता-Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं भूतलेखक का वचन-पत्र के आधार पर भूतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section-2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं भूतलेखक का वचन-पत्र प्रस्तुत करने पर भूतलेखक की सुविधा देय होगी और/या कतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।

5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भूतलेखक की सुविधा और/या कतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को भूतलेखक की सुविधा और/या कतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा भूतलेखक की सुविधा और/या कतिपूरक समय देय नहीं होगा।

6. भूतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं प्रमाण-पत्रों का अवलोकन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत करें। वेबसाइट पर उपलब्ध भूतलेखक संबंधी निर्देशों को विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा।

उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

2. It is mandatory to fill one option for each question.

3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.

4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.

5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से प्राप्त होगी। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बंद होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

2. अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें।

3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

4. अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

5. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मेल/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारते हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मेल अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मेल अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवाएँ। ई-मेल अथवा अन्य स्त्रोत के मरोसे न छोड़ें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भर जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से निम्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकतम का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्रेषित की अंतिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

7. आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित नती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अनिवार्य नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों आयोग द्वारा सही मान ली गई हैं। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्वीकृत रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रामाणिक फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रती के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग/शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

8. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

- माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र करने एवं त्रुटि सुधार संशोधन के पश्चात् कोई अन्यर्था आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विधवा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संबंधी परीक्षा/सहाकार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार-कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, लिंग दस्तावेज (पश्चा - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निःशक्ता प्रमाण-पत्र मय 500/- रुपये का ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति स्वीकृत प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपलब्ध अन्यर्था विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रद्द/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।
- विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अन्यर्था को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विच्छिन्न आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/बाद माननीय न्यायालय में विचारणीय/लम्बित है एवं किसी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अपना विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक उक्त पद हेतु तनी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निरक्षित भिन्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपत्र माना जायेगा।
- आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
- परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की फलन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अन्यर्थाओं को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीन/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्य फलन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित स्थलों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीनक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी को खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (नती) में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापन अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- यदि किसी अन्यर्था/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य मंत्री एजेंसियों की किसी भी नती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अन्य व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आर्यसूची में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अन्यर्था ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/दिकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संबंधी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्यर्थाओं को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किसी कारणों से अन्यर्था द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अन्यर्था को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा वह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं डीमीलेयर/नॉन डीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिछड़ा एवं महत्ता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के डीमीलेयर के अन्यर्थाओं को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अन्यर्थाओं को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अन्यर्था एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।
- शैक्षणिक/प्रशिक्षण योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आय (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), दिकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत वा उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्ताता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंग प्रमाण पत्र (पश्चा - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान - कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम अधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति अधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और मासिक सेवानिवृत्ति से पूर्व बयानित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति अधिकारी पदग्रहण कालावधि को स्थगित कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्राविष्टि समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक स्थगित कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की रक्षा में जहाँ किसी भी पद के लिए किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार व्योरो के बारे में कोई त्रुटि: घोषणा पत्र/वचनबद्ध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/सहाय/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान स्थित सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आर्मेन्स) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।
- राशन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्कालीन विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।

10. ऐसा कोई भी अम्बथी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चे/संतानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं सम्झा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चे/संतानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्तर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/संतान पैदा होती है, वहाँ बच्चे/संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई सम्झा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निश्चय हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अम्बथी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबंध किसी विधवा एवं विच्छिन्न विवाह/तालाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा।

11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. विच्छिन्न विवाह/तालाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा किन्ना के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।

14. आवेदक को चयन उपरान्त आवरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी न्यायिक रूप से विचारधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।

15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जीव सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।

16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा तथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपकरणों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु नहीं में हो गया है, उन्हें अपने नियोजता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. अम्बथी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अम्बथी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकमात्र पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्ति/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अम्बथी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अम्बथियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अम्बथी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अम्बथी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अम्बथी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अम्बथी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अम्बथी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :- एकमात्र पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajabastha.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0146-2636212 एवं 2636200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(रामनिवास मेहता)

सचिव

दिनांक : 05.08.2024

क्रमांक: F. 8-A(7)Exam/ASO/Eco.&Statistics/RPSC/EP-I/2024-25/62

प्रतिनिधि:- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत वि.सं. 09/Exam/ASO/Eco.&Statistics/RPSC/EP-I/2024-25 राजस्थान राजगार सन्देश, जयपुर के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार सशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित है।

वरिष्ठ उप सचिव